



न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना-बाडमेर
(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:-47/2025


दर्ज तिथि:-24.03.2025

1. भारमलराम पुत्र भगवानाराम
 2. रामलाल पुत्र भगवानाराम
 3. उदाराम पुत्र भगवानाराम
 4. किसनी पत्नी भीखाराम
 5. गंगाराम पुत्र भीखाराम
 6. प्रकाश पुत्र भीखाराम
- जाति विश्चोई निवासी जांभोजी का मंदिर, पटवार हल्का खारी तहसील धोरीमन्ना
- प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखराम पुत्र लाधुराम
2. पांचाराम पुत्र लाधुराम
3. विरधाराम पुत्र लाधुराम
4. भारमलराम पुत्र लाधुराम
5. पांचाराम पुत्र फगलूराम
6. विरधाराम पुत्र फगलूराम
7. सुखराम पुत्र फगलूराम
8. भारमलराम पुत्र फगलूराम
9. ओमप्रकाश पुत्र सदराम
10. गंगाराम पुत्र सदराम
11. मीरा पत्नी सदराम
12. सुरती पत्नी तुलछाराम
13. बाबूलाल पुत्र तुलछाराम
14. नरेश कुमार पुत्र जयकिशन
15. सुरेश कुमार पुत्र जयकिशन
16. परमेश्वरी पत्नी जयकिशन
17. जगमाल पुत्र रामकिशन
18. विरमाराम पुत्र रामकिशन
19. अणसी पत्नी मंगलाराम
20. केसाराम पुत्र मंगलाराम
21. बाबूलाल पुत्र मंगलाराम
22. पेमाराम पुत्र हीराराम
23. पदमाराम पुत्र हीराराम
24. बाबूलाल पुत्र भगवानाराम
25. भजनलाल पुत्र भगवानाराम




उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाडमेर

26. धीरडरररड डुतुर डगवरनररड
27. डरखररररड डुतुर तेओरररड
28. ररओरररड डुतुर ईशररररड
29. कलशनरररड डुतुर ईशररररड
30. वलरडरररड डुतुर ईशररररड
31. ओगडरल डुतुर नैनरररड
32. कलशनरररड डुतुर नैनरररड
33. ओगडरल डुतुर ठरकररररड
34. करनरररड डुतुर ठरकररररड
35. तुलछी डुतुर ठरकररररड
36. लरधुररड डुतुर ठरकररररड
37. ररडलरल डुतुर आईदरनररड
ओरतल वलशनोई नलवरसी ओरडुओओी कर डरंदलर,डुतुवर हलुकर खररी तहरसील धुरीडनर
38. ऑडुडर डुतुर शलवओी
39. डडु डुतुर शलवओी
40. ररडरररड डुतुर शलवओी
ओरतल डेघवल नलवरसी डरओडर तहरसील धुरीडनर ओलर डरडुडेर
41. गुकलरररड डुतुर डूसरररड
42. डरडूररड डुतुर डूसरररड
ओरतल डरदी नलवरसी ओरडुओओी कर डरंदलर, तहरसील धुरीडनर ओलर डरडुडेर
.....असल अडुररुथीगण
43. गुरड डुतुर डुतुर खररी
44. तहरसीलदरर धुरीडननर।
..... तकडुीली अडुररुथी


उडुरलथलत अधलवकुतर
डुररुथी:-शुरी हरडूररड
अडुररुथीगण- एकतररडर।

डुररुथनर डुतुर अनुतुरगत धररर-111,128
ररओरथरन डु-ररओररुव अधल-1956

-:नलरुणड:-

नलरुणड तलथल:-22.08.2025

1. ओरओ डरह डुतुररवलुी डुररुथनर डुतुर अनुतुरगत धररर-111,128 ररओरथरन डु-ररओररुव अधल-1956 वररुते नलरुणड हेतु डेश हुई। डुरकरण कर सुकुषुड वृतरनुतु इस डुरकर से है कल डुररुथीगण धुररर डुररुथनर डुतुर डेश कर नलवेदन कलर कल डुररुथीगण की हलल ओररओी खसरर संखुडर 176/77/7.2439 है0, 178/79/6.4750 है0 वरंके गुरड ओरडुओओी कर डरंदलर, डुतुवर हलुकर खररी तहरसील धुरीडननर ओलर डरडुडेर डुं स्थलत है। उकुत वरुणलत ओररओी डुररुथीगण की कडुओेकरशुत खरतेदररी की ओररओी है एवं ओररओी डुर डुररुथीगण करडलओ ररहकर डलनर कलसी डरधर वु ररुकरवुत के करशुत करते ऑले ओ रहे है। उकुत खरतेदररी ओररओी से अडुररुथीगण कर कुुई हक संबुध कलसी डुरकर कर नुहीं है। अडुररुथीगण डुररुथीगण की ओररओी के कररुडुकरशुत डुं डरधर डरलते है। उकुत ओररओी कर डुुके डुर सीडरंकन नुहीं हुुने से डुररुथीगण धुररर सीडरंकन कररर ओरने डरडुत तहरसीलदरर धुरीडननर के डरहं डुररुथनर-डुतुर डेश कलर ओलस डुर तहरसीलदरर धुरीडननर के ओरदेश दलनरंक 27.12.204 के तहत हलुकर डुतुवररी धुररर दलनरंक 08.01.2025 कुु सीडरओरन कररुडुवरी शुरु की गई डुरनुतु डुडुओी खसरुं के


उडुरखणुड अधलकररी
धुरीडननर, वरडुडेर

खातेदार/अप्रार्थीगण द्वारा पैमाईश की कार्यवाही पूर्ण नहीं करने दी तथा झगड़े पर उतारु होकर प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में गिलाना चाहते हैं। अब प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरे की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अंत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।
3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की पैमाईश की जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।
4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

111. Decision of disputes as to boundaries.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.


(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 के अनुसार खसरो की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं। खसरो की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 के तहत प्रावधान बनाये गये हैं। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

128. Boundary disputes. - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:

Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी अंतिम चौसला आधार संवत् 2073-76 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई वाकै ग्राम जांभोजी का मंदिर पटवार हल्का खारी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट


उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, वाडमेर

निर्णय दिनांक:-22-08-2025

का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम जांभोजी का मंदिर के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 08.01.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करवाई लेकिन विप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने पर कार्यवाही पूर्ण नहीं करवाई जा सकी। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा-111,128 भू-राजस्व अधिनियम-1956 के बाबत पत्थरगढी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 176/77/7.2439 है0, 178/79/6.4750 है0 वांके ग्राम जांभोजी का मंदिर, पटवार हल्का खारी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत कराये। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।



आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावे। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 22.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(भागीरथ राम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)मेर